न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 184/18

वादीगण
1–रामनिवास पुत्र भंवरलाल
2–महेन्द्रराम पुत्र भंवरलाल
3–पुरखाराम पुत्र भंवरलाल
जातियान जाट निवासी बासनी जग्गा तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगणः–
1–भंवरलाल पुत्र नाथूराम जाति जाट
निवासी बासनी जग्गा तहसील रियांबड़ी
2–तहसीलदार रियांबड़ी
3–पटवारी हलका लाडपुरा

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :– 06.06.2018

वादीगण की ओर निम्न वाद प्रस्तुत है :–

1–यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 हिन्दु है व हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गर्वन होते है। वादीगण सगे भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 इनके पिता है।

2–यह है कि मौजा बासनी जग्गा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 125/75 रकबा 1.15 हैक्टर,खसरा नंबर 126/78 रकबा 2.59 हैक्टर कुल रकबा 3.74 हैक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की काश्त व कब्जसुदा आई हुई है। उक्त खसरान की भूमि को आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की गई है।

3–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादीगण के दादा नाथूराम की खातेदारी की थी। बालूराम जी के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 को उतराधिकार में प्राप्त हुई। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है।

4–यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त खसरान की भूमि वादीगण को बंट में दे दी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने अपने बंट में मौजा बासनी जग्गा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 35 रकबा 3.30 हैक्टर खसरा नंबर 4 रकबा 0.04 हैक्टर,खसरा नंबर 5 रकबा 4.99 हैक्टर व खसरा नंबर 72 रकबा 0.93 हैक्टर भूमि रखी है। जिससे प्रतिवादी सख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में कोई बंट,हक,अधिकार काश्त व कब्जा नहीं है। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर स्वतंत्र रूप से काश्त व काबिज है। उक्त खसरान की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को बंट में दे रखी है। तब से वादीगण का कब्ज काश्त बतौर मालिक चला आ रहा है। मगर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है। और प्रतिवादी संख्या 1 लोगो की बहकावट व सिखावट में आकर वादग्रस्त खसरान को बेचान करने पर उतारू है। जिससे वादीगण यह दावा घोषणा का पेश कर रहे है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये जबाब हेतू तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण के राजस्व लोक अदालत कैम्प

Scanned by CamScanner

आलनियावास में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। सुन समझ सही होना स्वीकार किया गया। बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक है और सहमति से खातेदारी की घोषणा करवाना चाहते है। भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। पिता पुत्रो के बीच खातेदारी घोषणा की जानी है। जो वाजिब है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदीयो का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1के नाम सेपरेट दर्ज है। जो वादीगण को बंट में दे रखी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य खसरान की भूमि अपने बंट में रखी है। इस भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व बंट नहीं है।

अतः वादीगण का वाद जरिए सहमति के स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त खसरान की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है कि :–
''मौजा बासनी जग्गा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 125/75 रकबा 1.15 हैक्टर,खसरा नंबर 126/78 रकबा 2.59 हैक्टर कुल रकबा 3.74 हैक्टर भूमि वादीगण के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।''

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।'' इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–बाडीघाटी

निर्णय दिनांक 08.06.2018को राजस्व लोक अदालत कैम्प बाडीघाटी में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–बाडीघाटी